प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 17.01.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 16.01.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा लाल बाग मण्डी के पास से वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 17.01.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त वाहन चोरी की घटना का अनावरण करते हुए चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1. सलीम पुत्र मोहम्मद यासीन निवासी लक्ष्मी गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 2. तौहीद पुत्र हाजी नसीम निवासी आश्रम रोड विकास कुन्ज थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गोकुलपुर वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस की वृद्धि की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोगों ने मौका पाकर यह मोटरसाइकिल लालबाग मण्डी के पास से चोरी कर ली थी। आज हम इस मोटरसाइकिल को बेचने जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सलीम पुत्र मोहम्मद यासीन निवासी लक्ष्मी गार्डन लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष
2. तौहीद पुत्र हाजी नसीम नि0 आश्रम रोड विकास कुंज लोनी बॉर्डर गाजियाबाद,उम्र करीब 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 14.01.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि ससुराल पक्ष द्वारा वादी की पुत्री से दहेज की मांग करना व दहेज न देने पर वादी की पुत्री को जहरीला पदार्थ पिला देना जिससे उसकी मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल अभियुक्त 1.प्रेमशंकर (पति) 2. हिमांशू उर्फ थान सिह (देवर) 3. अरविन्द (देवर) पुत्र चन्द्रपाल 4. पाहल (देवरानी) पत्नी हिमांशू उर्फ थान सिंह निवासीगण सिरोदी

अंगदपुर थाना मीरगंज जिला बरेली हाल निवासी नवादा थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद के विरुद्ध धारा 85/80 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

तत्पश्चात आज दिनांक 17.01.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1.प्रेमशंकर (पति) पुत्र चन्द्रपाल उम्र करीब 28 वर्ष 2. हिमांशू उर्फ थान सिह (देवर) उम्र करीब 24 वर्ष निवासीगण नवादा थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को नवादा कट के सामने से गिरफ्तार किया गया।
। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग वादी की पुत्री से दहेज में सोने की चैन व एक 100 वर्ग गज प्लॉट की मांग करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट करते थे। अभियुक्त प्रेमशंकर (पति) ने बताया कि एक दिन शराब के नशे में मैंने फिर से अपना पत्नी से दहेज की मांग करते हुए मारपीट की व गुस्से में आकर उसे थिनर पिला दिया जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1.प्रेमशंकर (पति) पुत्र चन्द्रपाल निवासी नवादा थाना ट्रोनिका गाजियाबाद उम्र करीब 28 वर्ष।
2. हिमांशू(देवर) उर्फ थान सिह पुत्र चन्द्रपाल निवासी नवादा थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि ससुराल पक्ष द्वारा वादिया की पुत्री के साथ मारपीट कर दहेज की मांग करना व दहेज न देने पर जान से मारने की धमकी देना व देवर आमिर द्वारा वादिया की पुत्री के साथ छेडछाड करना व पति द्वारा वादिया की पुत्री को तेजाब पिला देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल अभियुक्त 1. नदीम (पति) पुत्र नईम 2.नईम (ससुर) पुत्र नन्नू 3. गुलशन (सास) पत्नी नईम 4. दानिराता (ननद) पुत्री नईम 5. आमिर (देवर) पुत्र नईम 6.अजहर (देवर) पुत्र नईम निवासीगण अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के विरुद्ध धारा 85/74/124(1)/115(2)/351(3) बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

आज दिनांक 17.01.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1.नदीम(पति) पुत्र नईम हाल निवासी ग्राम दौलतनगर ट्रोनिका सिटी मूल निवासी मौहल्ला गध्याना अनूप शहर जिला बुलन्दशहर, उम्र करीब 30 वर्ष 2. नईम पुत्र नन्नू निवासी दौलतनगर ट्रोनिका सिटी मूल निवासी मौहल्ला गध्याना अनूप शहर जिला बुलन्दशहर, उम्र करीब 58 वर्ष को पुस्ता तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग वादिया की पुत्री से दहेज की मांग करते थे व दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट करते थे। एक हमने फिर से दहेज की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट की व गुस्से में आकर उसे तेजाब पिला दिया था जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1.नदीम(पति) पुत्र नईम हाल निवासी ग्राम दौलतनगर ट्रोनिका सिटी मूल निवासी मौहल्ला गध्याना अनूप शहर जिला बुलन्दशहर, उम्र करीब 30 वर्ष।

2.नईम (ससुर) पुत्र नन्नू निवासी दौलतनगर ट्रोनिका सिटी मूल निवासी मौहल्ला गध्याना अनूप शहर जिला बुलन्दशहर, उम्र करीब 58 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना मसूरी पुलिस द्वारा 01 जिला बदर अपराधी गिरफ्तार।

आज दिनांक 17-01-2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर अपराधी आफताब पुत्र हाजी जमील निवासी नीयर कला मस्जिद ऊपर कोट लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को भूडगढी बम्बा चौकी क्षेत्र जेल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर धारा-10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त को दिनांक 19.09.2024 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के आदेश के क्रम में 06 माह की अवधि के लिये जनपद गाजियाबाद की सीमा से बाहर जिला बदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आफताब पुत्र हाजी जमील निवासी नियर कला मस्जिद ऊपर कोट लोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 48 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त थाना लोनी से जिला बदर चल रहा था जिसके विरूद्ध थाना लोनी पर अवैध कब्जा करने के संबंध में 01 अभियोग, थाना अंकुर विहार पर धोखाधड़ी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर धारा-10 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा रोड़वेज बस से बैग चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया, कब्जे से चोरी की हुई 01 इलेक्ट्रानिक ATM टिकिट मशीन व 4,000 /- रूपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 14.01.2025 को थाना लिंकरोड़ पर वादी शरद कुमार वाष्णेय पुत्र प्रदीप वाष्णेय निवासी चन्दौसी वेष्णो विहार जनपद सम्भल संविदा कर्मी भैसाली डिपो मेरठ क्षेत्र द्वारा एक लिखित तहरीर दी और बताया कि हमारी बस खराब हो जाने के कारण हम दोनों लोग बस को सही करने में लगे थे तभी कोई अज्ञात व्यक्ति हमारा बैग ले गया। जिसके सम्बन्ध में थाना लिंकरोड़ पर सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए आज दिनांक 17.01.2025 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व सर्विलांस की सहायता से चेकिंग के दौरान मुखविर की सूचना के आधार पर उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्त कासिफ पुत्र सलीम निवासी खुशहाल कॉलौनी डाँक्टरों वाली गली शाहरुख के मकान में किरायेदार थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ उम्र करीब 19 वर्ष को कौशाम्बी बस स्टैण्ड से चोरी की हुई 01 इलेक्ट्रानिक ATM टिकिट मशीन व 4,000 /- रूपये सहित गिरफ्तार किया गया व 01 बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त कासिफ पुत्र सलीम उपरोक्त व 01 बाल अपचारी के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त कासिफ पुत्र सलीम उपरोक्त व 01 बाल अपचारी से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त व बाल अपचारी द्वारा दिनांक 14.01.2025 की शाम को कौशाम्बी मैट्रो के सामने 01 खड़ी बस, जिसके कडंक्टर व ड्राइवर बस को ठीक कर रहे थे। इनके द्वारा मौका देखकर बस के अन्दर गये और जो बैग रखा था, उसे चोरी कर लिया गया था। उस बैग में 01 इलेक्ट्रानिक ATM टिकिट मशीन व करीब 16,000/- रूपये थे तथा बैग में टिकट व अन्य कुछ कागजात भी थे। बैंग व टिकट कागजात इन लोगों द्वारा फाड़कर चलते हुये नाले में फैक दिये थे तथा इन दोनों ने प्राप्त रुपयों को बराबर-बराबर बाँट लिया था। ये जो रुपये बरामद हुए है ये उन्ही में से बचे शेष रुपये है व इलेक्ट्रानिक ATM टिकिट मशीन को ये लोग मेरठ ले जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कासिफ पुत्र सलीम निवासी खुशहाल कॉलौनी डाँक्टरों वाली गली शाहरुख के मकान में किरायेदार थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की हुई 01 इलेक्ट्रानिक ATM टिकिट मशीन व 4,000 /- रूपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त कासिफ पुत्र सलीम उपरोक्त व बाल अपचारी के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम